

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0अ0सं0-6/अ0प्र0-01-06/2024

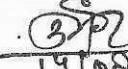
५५२

पटना, दिनांक- 18-8-25

श्रीमति मुनिता कुमारी (गृह जिला-जहानाबाद), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर कार्यक्षेत्र में अन्तरिम व्यवस्था के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, नालंदा के भी प्रभार में रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

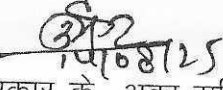

18/08/25
(उमंग)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-01-06/2024-

पटना, दिनांक-

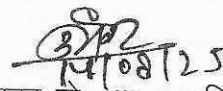
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/08/25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-01-06/2024-

पटना, दिनांक-

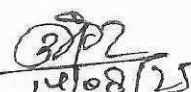
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/08/25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-01-06/2024- 8875

पटना, दिनांक- 18-8-25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /जिलाधिकारी /उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/08/25
सरकार के अवर सचिव

unsub